

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार विभाग

फार्मेसी (बी.फार्मेसी / डी.फार्मेसी)
पाठ्यक्रमों के प्रवेश नियम
सत्र 2025-26

1	शासकीय (Govt.) क्षेत्र के लिये शासकीय, मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, स्वशासी एवं स्ववित्तीय (विश्वविद्यालयीन) फार्मेसी संस्थाओं में बी.फार्मेसी/ डी.फार्मेसी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु	पृष्ठ 2-17
2	निजी (Private) क्षेत्र के लिये निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं में बी.फार्मेसी/ डी.फार्मेसी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु	पृष्ठ 18-31
3	विभिन्न प्रारूप	पृष्ठ 32-43
4	संस्थावार उपलब्ध सीटों की संख्या (बी.फार्मेसी/ डी.फार्मेसी)	पृष्ठ 43-54

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल

**मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय,
स्वशासी एवं स्ववित्तीय संस्थाओं (विश्वविद्यालयीन) में
सत्र 2025-26 से प्रवेश नियम**

मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, स्वशासी एवं स्ववित्तीय (विश्वविद्यालयीन) फार्मसी की संस्थाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम:-

1.1 सामान्य

मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी फार्मसी की संस्थाओं तथा अनुदान प्राप्त अशासकीय फार्मसी की संस्थाओं में बी.फार्मा के प्रथम वर्ष एवं राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेक्निक महाविद्यालय के द्वि-वर्षीय फार्मसी के डिप्लोमा पाठ्यक्रम (डी.फार्मा.) के प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम कहलाएंगे।

1.2 परिभाषाएँ:

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो : -

1. "PCI" से अभिप्रेत है फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली;
2. "पाठ्यक्रम" से अभिप्रेत हैं कोई पाठ्यक्रम जिसका नाम पद्धति समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जा चुकी हैं तथा जिसके लिये किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या संस्था द्वारा अलग से डिग्री / डिप्लोमा प्रदान किया जाता हैं (जैसे बी.ई इलेक्ट्रिकल, बी.ई. मैकेनिकल, एमसीए, एमबीए, डी.फार्मा, आदि);
3. "व्यावसायिक संस्थान" से अभिप्रेत है ऐसी संस्थायें जो इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रमों को संचालित करती हैं;
4. "सी.टी.ई." से अभिप्रेत है कमीशनर टेक्नीकल एजुकेशन, मध्यप्रदेश;
5. "रा.गां.प्रौ.वि" से अभिप्रेत है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल;
6. "प्राचार्य" से अभिप्रेत है संस्था प्रमुख;
7. "सक्षम प्राधिकारी (स.प्रा.)" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित सक्षम प्राधिकारी;
8. "मध्यप्रदेश (म.प्र.)" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य जो 01.11.2000 को अस्तित्व में आया है;
9. "एन.आर.आई." से अभिप्रेत है अनिवासी भारतीय का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115-ग के खण्ड (ड.) में उसके लिये दिया गया है;
10. "श्रेणी" से अभिप्रेत है इन चार श्रेणी में से एक उदाहरणार्थ अनारक्षित (UR)], अनुसूचित जाति (SC)] अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ी जाति (OBC) (क्रीमीलेयर को छोड़कर);
11. "वर्ग" से अभिप्रेत है इन चारों वर्गों में कोई भी एक उदाहरणार्थ सैनिक (S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF), दिव्यांगजन Divyangjan (D), एन.सी.सी. (NCC), बिना वर्ग (X);

12. "OP" सीटों से अभिप्रेत है महिला या पुरुष अभ्यर्थी;
13. "F" सीटों से अभिप्रेत है महिला अभ्यर्थी;
14. "मध्यप्रदेश सीटों" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य के निवासियों के लिये आरक्षित सीट;
15. "AI" सीटों से अभिप्रेत है आल इंडिया सीट।
16. "TFW" से तात्पर्य "शिक्षण शुल्क छूट योजना सीट" है।
17. "EWS" से तात्पर्य "मध्यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी" है।

1.3 लागू होना:-

ये नियम मध्य प्रदेश के शासकीय, मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, स्वशासी, एवं स्ववित्तीय संस्थाओं (विश्वविद्यालयीन) में बी./डी. फार्मसी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम कहलायेंगे।

1.4 प्रवेश नियम:-

समस्त संस्थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी-

1.4.1 स्थानों की उपलब्धता बी.फार्मसी/ डी.फार्मसी संस्थाओं में उपलब्ध सीटें:-

स.क्र.	संस्था का प्रकार	प्रवेश क्षमता का प्रतिशत
1	मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वशासी घोषित एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय फार्मसी महाविद्यालय एवं शासकीय महाविद्यालय, स्वशासी एवं स्ववित्तीय संस्थाओं (विश्वविद्यालयीन) (बी. फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली	90 प्रतिशत मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये सीटें 5 प्रतिशत अनिवासी भारतीय सीटें 5 प्रतिशत आल इंडिया सीटें (अनिवासी भारतीय सीटें एवं आल इंडिया सीटें रिक्त रहने पर म.प्र. निवासियों की सीटों में परिवर्तित)
2	मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वशासी घोषित पोलीटेकनिक महाविद्यालय (डी. फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं)	95 प्रतिशत मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये सीटें 5 प्रतिशत अनिवासी भारतीय सीटें (अनिवासी भारतीय सीटें रिक्त रहने पर म.प्र. निवासियों की सीटों में परिवर्तित)

नोट:-

- (क) विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की अद्यतन जानकारी परामर्श (Counselling) संचालित करने वाले सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट <https://dte.mponline.gov.in> पर उपलब्ध कराई जावेगी।
- (ख) यदि किसी नई संस्था को अनुमति प्रदान की जाती है, या किसी विद्यमान संस्था में नवीन ब्रांच या विद्यमान ब्रांच की प्रवेश क्षमता में परिवर्तन की जाने की अनुज्ञा उस वर्ष समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो उसे परामर्श

(काउंसलिंग) में समाविष्ट किया जा सकेगा, बशर्ते कि संस्था ने संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता तथा राज्य सरकार से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो।

(ख-1) विद्यमान संस्था/पाठ्यक्रमों की निरंतरता फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया, (PCI) नई दिल्ली एवं संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान नहीं की जाती है तो ऐसी संस्थाओं को काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जायेगा।

1.4.2 स्थानों का आरक्षण/ आवंटन

मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय फार्मसी महाविद्यालयों स्वशासी एवं स्ववित्तीय संस्थाओं (विश्वविद्यालयीन) तथा स्वशासी पोलीटेकनिक एवं शासकीय महाविद्यालयों के बी.फार्मसी/ डी.फार्मसी संस्थाओं में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणियों के लिए क्रमशः 16, 20 तथा 14 प्रतिशत सीटों का आरक्षण रहेगा। यदि उत्तरोत्तर चरण की काउंसिलिंग आयोजित की जाती है तब पिछले चरण के उपरान्त विभिन्न श्रेणियों में रिक्त स्थानों को नियमानुसार पुनः परिवर्तित (Redistribution) किया जावेगा।

टिप्पणी:-

(अ) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से उम्मीदवार केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है।

(ब) जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप में परामर्श (Counselling) के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(क) **मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी:-** ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) अथवा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप-1 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2/96/अ.प्र./एक, दिनांक 01 अगस्त, 1996 तथा शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश देखें)

(ख) **मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) श्रेणी:-**

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिये गए निर्धारित प्रारूप-2 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक

होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र 30 अप्रैल 2022 के पूर्व जारी किया गया हो तो उम्मीदवार को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो अथवा आय प्रमाण पत्र संबंधी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार आय बाबत स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र प्रारूप-10 में परामर्श के समय प्रस्तुत करना होगा। (देखें मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2/96/आ.प्र./एक, दिनांक 12 मार्च, 1997 एवं आदेश क्रमांक एफ-7-16-2000/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 06.07.2000 तथा शासन द्वारा क्रीमीलेयर के संबंध जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश देखें)।

(ग) जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग (J & K Migrants Seats):

हेतु बी.फार्मसी/ डी.फार्मसी के पाठ्यक्रमों में स्थानों का आरक्षण:

समस्त स्वशासी फार्मसी महाविद्यालयों तथा समस्त शासकीय/स्वशासी पोलिटेक्निक महाविद्यालयों तथा अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थानों तथा स्ववित्तीय (विश्वविद्यालयीन) संस्थानों में स्वीकृत प्रवेश क्षमता की एक सीट कश्मीरी विस्थापित परिवार के पुत्र/पुत्रियों के लिए आरक्षित रहेगी। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को निर्धारित प्रारूप-7 में जम्मू एवं काश्मीर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

इसी वर्ग के अंतर्गत मध्यप्रदेश सेवा के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को, जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को भी आरक्षित स्थानों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप-8 में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

(घ) जम्मू एवं काश्मीर राज्य के निवासियों की सीटें (J&K Residents Seats)

मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं स्ववित्तीय (विश्वविद्यालयीन) संस्थाओं (केवल बी.फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएँ) में आल इण्डिया सीटों में से एक-एक सीट प्रत्येक संस्था में जम्मू एवं काश्मीर राज्य के निवासियों के लिये आरक्षित रहेगी।

(ण) क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation):

(अ) शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय फार्मसी महाविद्यालयों में फार्मसी पाठ्यक्रम में अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), तथा अन्य पिछड़ी जाति (OBC) (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के अंतर्गत सैनिक (S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF), दिव्यांगजन Divyangjan (D) तथा एनसीसी (NCC) उम्मीदवारों के लिए क्षैतिजीय आरक्षण क्रमशः 5, 3, 3, 2 प्रतिशत रहेगा जबकि विश्वविद्यालयीन संस्थाओं में केवल महिला एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिये प्रत्येक श्रेणी में क्षैतिजीय स्थान आरक्षित रहेंगे:-

- शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय फार्मसी महाविद्यालयों के फार्मसी पाठ्यक्रम में अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), तथा अन्य पिछड़ी जाति (OBC) (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के अंतर्गत सैनिक (S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF), दिव्यांग (D) तथा एनसीसी (NCC) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्षैतिजीय आरक्षण क्रमशः 5, 3, 3, 2 प्रतिशत रहेगा।
- विश्वविद्यालयीन संस्थाओं के फार्मसी पाठ्यक्रम में अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), तथा अन्य पिछड़ी जाति (OBC) (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के अंतर्गत विकलांग (H) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्षैतिजीय आरक्षण 3 प्रतिशत रहेगा।

सैनिक वर्ग (S):-

सैनिक वर्ग में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से दिव्यांग हो गये हों। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले उम्मीदवार को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि, वह मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित भूतपूर्व सैनिक का पुत्र/पुत्री है। भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता है।

भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने पिता/माता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण-पत्र इस नियम

पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप-3 भाग(अ) में तथा अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रारूप-4 में, संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (पूर्व का पदनाम सचिव जिला सैनिक बोर्ड) से प्राप्त कर प्रस्तुत करने होंगे।

अथवा

वह मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है, जो मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी है। (प्रमाण पत्र प्रारूप-3 भाग(ब) में) उम्मीदवार को अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रारूप-6 में प्रस्तुत करना होगा।

अथवा

वह 1 जनवरी, 2025 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है। (प्रमाण पत्र प्रारूप-3 भाग (ब) में)

टिप्पणी: सैनिक वर्ग के अंतर्गत किसी उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग (FF):-

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उन पुत्रों/पुत्रियों एवं पौत्रों/पौत्रियों/नातियों/नातिनों को प्रवेश की पात्रता होगी जो नियम पुस्तिका के अनुसार मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी होने की शर्त पूर्ण करते हैं। इस नियम के प्रयोजन के लिये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य यह है कि उसका नाम मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्टर में रखी हुई सूची में पंजीकृत है।

टिप्पणी: स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्टर से प्रारूप-5 में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। केवल कलेक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र ही उम्मीदवार का इस वर्ग का होने संबंधी एक मात्र वैध प्रमाण पत्र होगा।

(ब) दिव्यांग उम्मीदवारों (Differently Abled Persons) हेतु आरक्षण: बी.फार्मा./ डी.फार्मा. पाठ्यक्रम:

40 या उससे अधिक प्रतिशत दिव्यांगता वाले दिव्यांग उम्मीदवार, जो नियम पुस्तिका के अनुसार मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की शर्त को पूर्ण करते हों, के लिए प्रवेश क्षमता में 3 प्रतिशत सीटों का क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण समस्त

श्रेणियों यथा अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) में उपलब्ध रहेगा।

टिप्पणी:-

1. यदि क्षेत्रीय आरक्षण के विरुद्ध दिव्यांग उम्मीदवार के अनुपलब्ध होने पर सीट रिक्त रहती है तो ऐसी सीटों को उसी श्रेणी के Nil वर्ग (बिना वर्ग, X) में परिवर्तन किया जा सकेगा।
2. इन सीटों के विरुद्ध प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को **निम्नांकित दोनों प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से काउंसिलिंग के दौरान ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा-**

(अ) जिला चिकित्सा मंडल द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र; तथा

(ब) अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, दिव्यांगों हेतु, नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर, नेपीयर टाउन, जबलपुर (म.प्र.) (**Superintendent, National Career Service Center for Differently Abled, Napier Town, Jabalpur, Madhya Pradesh.Pradesh**) द्वारा जारी पाठ्यक्रम पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा, जिसमें पाठ्यक्रम एवं संकाय (ब्रांच) का उल्लेख होना अनिवार्य है।

(स) एन.सी.सी. "बी" प्रमाण पत्र उत्तीर्ण उम्मीदवारों हेतु आरक्षण

मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के आदेश क्रमांक 758/2730/2009/42-2 भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश के एन.सी.सी. के "बी" प्रमाण पत्र उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए शासकीय/अनुदान प्राप्त फार्मसी महाविद्यालयों में स्वीकृत प्रवेश क्षमता के दो प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

(द) बिना वर्ग (Nil Class) (X):-

जो उम्मीदवार उपरोक्त वर्गों में से किसी भी एक वर्ग के अंतर्गत प्रवेश का उम्मीदवार नहीं होगा, उसे उसकी संबंधित श्रेणी के अंतर्गत "बिना वर्ग" (X) का उम्मीदवार माना जावेगा।

(ई) मध्यप्रदेश की महिला (Female) उम्मीदवारों हेतु आरक्षण

बी.फार्मा./ डी.फार्मा. पाठ्यक्रम में प्रत्येक श्रेणी एवं वर्ग के अंतर्गत मध्यप्रदेश की महिला उम्मीदवारों हेतु 30 प्रतिशत सीटों का "कम्पार्टमेंटलाइज्ड" आरक्षण उपलब्ध रहेगा। ऐसी सीटों को (F) दर्शाया जावेगा। महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षण यथासंभव संस्थावार होगा।

टिप्पणी:

किसी वर्ग (Class) विशेष में महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने की दशा में रिक्त सीटें उसी वर्ग के ओपन (OP0) उम्मीदवारों से भरी जावेगी। वर्ग विशेष में ओपन उम्मीदवार भी उपलब्ध न होने की दशा में रिक्त सीटें उसी श्रेणी (Category) के बिना वर्ग (X/OP) उम्मीदवारों के द्वारा भरी जावेंगी।

1.4.3 एन.आर.आई (NRI) सीटें :

समस्त संस्थाओं में जिनमें फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम “प्रवेश” विनियम, 2011” दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

1.4.4 आल इंडिया (AI) सीटें:

बी. फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली समस्त संस्थाओं में फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत आल इंडिया सीटें प्रवेश के लिये उपलब्ध रहेंगी।

1.4.5 मध्यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) हेतु आरक्षण:-

मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, स्वशासी एवं स्ववित्तीय (विश्वविद्यालयीन) फार्मसी संस्थाओं में प्रवेश हेतु म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./ एक, भोपाल, दिनांक 02 जुलाई 2019 एवं फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रावधान अनुसार फार्मसी Act 1948 u/s 12 के अंतर्गत स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत स्थान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) अभ्यर्थियों हेतु उपलब्ध होंगे तथा केवल मध्यप्रदेश के मूल-निवासी ऐसे अभ्यर्थियों जिनके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का प्रमाण-पत्र उपलब्ध होगा, को प्रवेश दिया जावेगा।

ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप-11 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 02 जुलाई 2019 तथा शासन द्वारा

इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश एवं सीटों के संबंध में भारतीय भेषजी परिषद् (PCI), नई दिल्ली द्वारा जारी किये गए प्रावधान देखें)।

1.4.6 शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत उपलब्ध सीट (Tuition Fee Waiver Scheme)

फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रावधान अनुसार फार्मसी Act 1948 u/s 12 के अंतर्गत अनुमोदित फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली केवल ऐसी संस्थायें जिसमें गत वर्ष न्यूनतम् 30 प्रतिशत प्रवेश हुये हों, ऐसी समस्त संस्थाओं में शिक्षण शुल्क में छूट की योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी। जिसके अंतर्गत प्रत्येक पाठ्यक्रम में स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य रूप से उपलब्ध होंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रुपये 8.00 (आठ) लाख रुपये से अधिक न हो, इन स्थानों के लिए प्रवेश हेतु पात्र होंगे। शिक्षण शुल्क में छूट की योजना के अंतर्गत रियायत केवल शिक्षण शुल्क की राशि जैसा कि प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित की गई हो, तक सीमित होगी और शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क अभ्यर्थियों द्वारा वहन किए जाएंगे। इस श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर, ये स्थान अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरे जाएंगे। इस श्रेणी के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी ब्रांच या संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा। इन स्थानों पर प्रवेश के सभी चरणों में परामर्श (काउंसलिंग) की जावेगी। प्रवेश प्रक्रिया उसी प्रकार से होगी, जैसी कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाए। इस योजना के अधीन केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र होंगे।

1.5 प्रवेश हेतु पात्रता :

- 1) जो भारत का नागरिक हो
 - 2) शैक्षणिक अर्हता
- (अ) फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित प्रावधान अनुसार बी.फार्मसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार को निम्नलिखित में से कोई भी एक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है:-

Candidate shall have passed 10+2 examination conducted by the respective State/Central Government authorities recognized as equivalent to 10+2 examination by the Association of Indian Universities (AIU) with English as one of the subjects and

Physics, Chemistry, Mathematics (P.C.M.) and or Biology (P.C.B./P.C.M.B.) as optional subjects individually. Any other qualification approved by the Pharmacy Council of India as equivalent to any of the above examinations.

- (ब) फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित प्रावधान अनुसार डिप्लोमा फार्मसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार को निम्नलिखित में से कोई भी एक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है:-

A pass in 10+2 examination (science academic stream) with Physics, Chemistry and Biology or Mathematics.

Or

Any other qualification approved by the Pharmacy Council of India as equivalent to the above examination.

नोट:-

- i. ऐसे उम्मीदवार भी प्रवेश के लिये पात्र होंगे जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा कृपांक (ग्रेस) के साथ उत्तीर्ण की होगी।
- ii. ऐसे उम्मीदवार जिनकी अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची ग्रेडिंग सिस्टम पर आधारित है, अंकसूची में दिए परिवर्तन सूत्र अनुसार ग्रेड को अंकों में परिवर्तित करना होगा।

3) मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकतायें (M.P.Domicile Requirements)

मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी संस्थाओं एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं की सीटें तथा स्वशासी एवं स्ववित्तीय (विश्वविद्यालयीन) संस्थाओं फार्मसी महाविद्यालयों की बी.फार्मा./ डी.फार्मा. की सीटों एवं मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलिटेक्निक डी.फार्मा सीटों के विरुद्ध केवल ऐसे उम्मीदवारों को (सैनिक वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों तथा जम्मू काश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग के उम्मीदवारों को छोड़कर) प्रवेश हेतु चयन के लिये पात्रता होगी:-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक दिनांक 29 जून, 2013 के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिये सक्षम प्राधिकारी (नायब तहसीलदार/तहसीलदार) द्वारा जारी स्थानीय प्रमाण-पत्र प्रारूप-6 अनुसार प्रस्तुत करना आवश्यक है।

1.6 प्रवेश की रीति

अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर काउंसलिंग प्रक्रिया सम्पादित की जाएगी।

1.7 प्रवेश की प्रक्रिया

1.7.1 ऑन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया

(Admission Procedure of Online Offcampus Counselling):-

राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए आन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग (परामर्श) संचालित करने का विनिश्चय किए जाने की दशा में राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए घोषित सक्षम प्राधिकारी, विस्तृत कार्यक्रम को अंतिम रूप देगा और प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियां (कट ऑफ डेट्स) घोषित करते हुए वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग की प्रवेश प्रक्रिया मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित प्रवेश नियम 2008 यथा संशोधित) के अनुसार रहेगी।

1.7.2 अनिवासी भारतीयों के स्थानों के विरुद्ध प्रवेश की प्रक्रिया:-

1.7.2.1 समस्त संस्थाओं में जिनमें फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम “प्रवेश विनियम, 2011” दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

1.7.2.2 अनिवासी भारतीय के रिक्त स्थानों का संपरिवर्तन - अनिवासी भारतीयों के रिक्त स्थान, जैसा कि अनिवासी भारतीय के न भरे गये स्थानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश के मूलनिवासियों के स्थानों में संविलीन कर दिए जाएंगे तथा इन स्थानों की पूर्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा, मध्यप्रदेश के मूलनिवासियों के स्थानों की प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

1.8 प्रवेश हेतु चयन पद्धति

1.8.1 अंकों में अधिभार

राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रारूप-9 में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर मेरिट सूची में स्थान निर्धारित किया जायेगा। उम्मीदवार को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त करने के विषय में

निर्धारित प्रारूप-9 में प्रमाण-पत्र संचालक, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, म.प्र. शासन से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

1.8.2 योग्यता क्रम सूचियां

1.8.2.1 उम्मीदवारों द्वारा अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर बी.फार्मा/डी. फार्मा. पाठ्यक्रमों हेतु एकीकृत योग्यता क्रम (Common Merit Lists), के साथ-साथ अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ी जाति (OBC) (क्रीमिलियर को छोड़कर) श्रेणियों के लिये श्रेणीवार/वर्गवार अलग-अलग योग्यता क्रम सूचियां तैयार की जावेगी। उपरोक्त पाठ्यक्रमों में इन योग्यता क्रम सूचियों से प्रवेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित परामर्श (Counselling) के माध्यम से किये जावेंगे।

1.8.2.2 बी.फार्मा. व डी.फार्मा. पाठ्यक्रमों हेतु संस्था का आवंटन प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को अर्हकारी परीक्षा की मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

1.8.2.3 समान कुल अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Interse Merit)

अर्हकारी परीक्षा में समान कुल अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Interse Merit) निम्नलिखित क्रम में निश्चित की जाएगी -

(1) एक समान अंक प्राप्त होने पर बायोलॉजी/गणित विषय में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर रखा जावेगा बायोलॉजी/गणित विषय में भी समान अंक होने पर भौतिक शास्त्र विषय एवं भौतिक शास्त्र विषय में भी समान अंक होने पर रसायन शास्त्र विषय में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर रखा जायेगा। रसायन शास्त्र विषय में भी समान अंक प्राप्त होने पर अधिक आयु वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर रखा जावेगा। तत्पश्चात् आयु में भी समानता होने पर उम्मीदवार के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर योग्यताक्रम सूची में रखा जावेगा।

(2) ऐसे उम्मीदवार को जो 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार लिए हैं, मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त उस उम्मीदवार से नीचे रखा जाएगा जिसे ऐसा अधिभार प्राप्त नहीं है।

1.8.3 प्रवेश प्रक्रिया की सामान्य जानकारी:

1.8.3.1 मध्यप्रदेश के मूल निवासी की सीटों, ऑलइंडिया सीटों, जम्मू कश्मीर विस्थापित एवं जम्मू कश्मीर निवासी सीटों के लिये बी.फार्मा/ डी.फार्मा. पाठ्यक्रम में प्रवेश योग्यताक्रम सूचियों के अनुसार दिये जा सकेंगे।

1.8.3.2 समस्त प्रवेश काउंसिलिंग के माध्यम से किये जावेंगे। काउंसिलिंग का कार्यक्रम विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जावेगा। काउंसिलिंग का विस्तृत कार्यक्रम सक्षम प्राधिकारी/संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाइट <https://dte.mponline.gov.in> पर उपलब्ध रहेगा। इसके लिये उम्मीदवारों को अलग से कोई भी कॉल लेटर नहीं भेजा जावेगा।

1.8.4 मूल प्रमाण-पत्र

काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे, सत्यापन उपरान्त उनके मूल प्रमाण-पत्र संस्था द्वारा वापिस कर दिये जायेंगे। उम्मीदवारों को टी.सी. एवं माइग्रेशन को छोड़कर अन्य मूल प्रमाण-पत्र प्रवेशित संस्था में जमा नहीं करने हैं।

नोट:- काउंसिलिंग पोर्टल के माध्यम से केंद्रीकृत/संस्था स्तर काउंसिलिंग (सीएलसी) में, संस्थान/पाठ्यक्रम के आवंटन के बाद, उम्मीदवार को शासन/प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति (एएफआरसी) द्वारा निर्धारित शुल्क तथा मूल टीसी/माइग्रेशन आवंटित संस्था में जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त, यदि उम्मीदवार किसी भी माध्यम से प्रवेश प्राप्त करने के लिये किसी संस्था या व्यक्ति को कोई शुल्क जमा करता है अथवा अपने मूल दस्तावेज जमा करता है/सौंपता है, तो इसके लिये उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होगा।

1.8.5 प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में संस्थाओं के अंतरण हेतु अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

1.8.6 निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् संस्थाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी।

1.9 प्रवेश का क्रम :-

- 1.9.1** सक्षम प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीकृत परामर्श (काउंसिलिंग) से उन संस्थाओं के स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे जिन्होंने समुचित प्राधिकारी से इसके लिए अनुज्ञा प्राप्त कर ली है। यह स्थान सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया तथा कार्यक्रम के अनुसार भरे जाएंगे तथा कोई स्थान रिक्त रहने की दशा में यह स्थान **मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये उपलब्ध सीटों में** सम्मिलित किए जाकर केन्द्रीयकृत परामर्श (काउंसिलिंग) से भरे जाएंगे।
- 1.9.2** मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये उपलब्ध सीटों के पहले दौर की परामर्श (काउंसिलिंग) में, यदि आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करता है, तो उसे सर्वप्रथम अनारक्षित श्रेणी में सीट आबंटित की जाएगी। यदि अनारक्षित श्रेणी में उसे उसकी प्राथमिकता के अनुसार सीट नहीं प्राप्त होती है, तो उसे उसकी पात्रतानुसार आरक्षित श्रेणी में सीट आबंटित की जाएगी।
ऐसे आबंटन के पश्चात्, रिक्त आरक्षित सीटें पारस्परिक रूप से निम्न क्रम में परिवर्तित एवं आबंटित की जाएंगी अर्थात् अनुसूचित जनजाति से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति से अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग से अनुसूचित जनजाति।
- 1.9.3** आरक्षित प्रवर्गों के लिए परामर्श (काउंसिलिंग) संचालित करने तथा आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सीटों का आबंटन करने के पश्चात्, रिक्त सीटें, यदि कोई हों, अनारक्षित सीटों में संविलीन की जाएंगी और उसके पश्चात् अनारक्षित सीटों पर पुनः आबंटन किया जाएगा।
- 1.9.4** यदि पहले दौर की परामर्श (काउंसिलिंग) के पश्चात् स्थान रिक्त रहते हैं तो विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिये रिक्त स्थानों की संख्या एवं प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या को ध्यान में रखते हुए द्वितीय दौर की परामर्श (काउंसिलिंग) आयोजित कराये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।
परामर्श (काउंसिलिंग) के उपर्युक्त दौर के पश्चात् यदि स्थान रिक्त रहते हैं तो ऐसे स्थानों पर प्रवेश के लिये, प्रवेश नियम 2008 (यथासंशोधित) तथा/अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार, काउंसिलिंग सम्पादित की जावेगी।
- 1.9.5** काउंसिलिंग के अंतिम चरण में मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को प्रवेश देने के उपरांत रिक्त सीटों पर अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिये जा सकेंगे।

1.10 प्रवेश का रद्द किया जाना:-

- (1) यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाए कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा।
- (2) प्रवेशित सत्र के लिये संवैधानिक निकाय द्वारा जारी शैक्षणिक कैलेंडर प्रभावशाली रहेगा, उक्त कैलेंडर में प्रवेश निरस्त उपरान्त शुल्क वापसी के लिये निर्धारित तिथि के पश्चात्, प्रवेश निरस्त कराये जाने पर, शिक्षण शुल्क की वापसी मान्य नहीं होगी।

(3) रद्दकरण के पश्चात् स्थानों की स्थिति:-

प्रवेश के रद्दकरण के कारण या निर्धारित तारीख के भीतर (जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाए) अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्ट न करने के कारण उद्भूत होने वाले रिक्त स्थान, विद्यमान चरण की अपग्रेड प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा (यदि लागू हो तो) या अगले चरण की काउंसिलिंग (यदि संचालित की जाती है) में आवंटन के लिये उपलब्ध कराया जाएगा।

- (4) प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश रद्द करने संबंधी कार्यवाही केवल प्रवेशित संस्था द्वारा ही की जावेगी।

1.11 शिक्षण तथा अन्य फीस :-

राज्य शासन ने बी. फार्मसी / डी. फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली विभिन्न संस्थाओं द्वारा उम्मीदवारों से लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क के आदेश समय-समय पर जारी किए हैं। प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों को प्रचलित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क प्रवेशित संस्था में जमा करने होंगे।

1.12 पाठ्यक्रम:-

फार्मसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये मापदंड, आवश्यकताएँ एवं अन्य शर्तें फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार होगी।

1.13 निर्वचन :-

उम्मीदवारों के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नों पर तथा प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर निर्णय लेने में मध्यप्रदेश राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा एवं जिसका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

1.14 उपांतरण :-

मध्यप्रदेश राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

1.15 क्षेत्राधिकार-

किसी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

प्रवेश नियम की प्रति संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाइट <https://dte.mponline.gov.in> पर उपलब्ध रहेगी।

मध्यप्रदेश में स्थित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में सत्र 2025-26 के प्रवेश नियम

मध्य प्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम-2007 (क्रमांक 21 सन् 2007) के अंतर्गत दिनांक 15 अप्रैल 2008 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित नियमों के अनुसार सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश की रीति तथा स्थानों के आरक्षण के संबंध में बी.फार्मा. एवं डी.फार्मा. पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम:-

2.1 संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **प्रवेश नियम, 2008** है।
- (2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित 15 अप्रैल, 2008 से प्रवृत्त हैं एवं संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू हैं।

2.2 परिभाषाएं :-

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

- (क) **“अधिनियम”** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21 सन् 2007) ;
- (ख) **“समुचित प्राधिकारी”** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (क) में यथा परिभाषित प्राधिकारी;
- (ग) **“प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति”** से अभिप्रेत है, व्यावसायिक शिक्षण संस्था में प्रवेश प्रक्रिया के पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन के लिए तथा प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों से प्रभावित की जाने वाली फीस के निर्धारण के लिए इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित समिति;
- (घ) **“PCI”** से अभिप्रेत है फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली;
- (ङ.) **“उपाबंध”** से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न उपाबंध;
- (च) **“सक्षम प्राधिकारी”** से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी;
- (च-1) **“पाठ्यक्रम”** से अभिप्रेत हैं कोई पाठ्यक्रम जिसकी नाम पद्वति समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जा चुकी हैं तथा जिसके लिये किसी मान्यता प्राप्त

विश्वविद्यालय या बोर्ड या संस्था द्वारा अलग से डिग्री/डिप्लोमा प्रदान किया जाता है (जैसे बी.ई इलेक्ट्रिकल, बी.ई. मैकेनिकल, एमसीए, एमबीए, डी.फार्मा, आदि)।

- (छ) “फीस” से अभिप्रेत है, शिक्षण फीस सहित समस्त फीस तथा विकास प्रभार;
- (ज) “अनिवासी भारतीय” का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115-ग के खण्ड (ड.) में उसके लिए दिया गया है;
- (झ) “प्राचार्य” से अभिप्रेत है, संस्था का प्रमुख;
- (ञ) “सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था” से अभिप्रेत है, कोई व्यावसायिक शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार से आवर्ती वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो तथा जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा स्थापित या पोषित नहीं है;
- (ट) “व्यावसायिक शिक्षण संस्था” से अभिप्रेत है, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहा कोई महाविद्यालय या कोई स्कूल या कोई संस्थान, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो राज्य के किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हो जिसमें राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित कोई निजी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का सं.3) की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय होना समझी गई कोई संघटक इकाई सम्मिलित है, और जो व्यावसायिक शिक्षण को विनियमित करने वाले किसी सक्षम कानूनी निकाय द्वारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त हो;
- (ठ) “अर्हकारी परीक्षा” से अभिप्रेत है, उस न्यूनतम अर्हता की परीक्षा जिसको उत्तीर्ण करने पर कोई अभ्यर्थी इन नियमों में यथाविहित सुसंगत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने हेतु हकदार होता है;
- (ड) “एकल खिड़की प्रणाली” से अभिप्रेत हैं, ऐसी प्रणाली, जिसके द्वारा सभी संस्थाओं में उपलब्ध स्थान, सामान्य केन्द्रीकृत परामर्श (काउन्सलिंग) या विकेन्द्रीकृत ऑनलाईन परामर्श (काउन्सलिंग) के माध्यम से सामान्य प्रवेश परीक्षा के गुणागुण के क्रम में अर्ह अभ्यर्थियों को प्रस्थापित किए जाते हैं;
- (ढ) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त की गई हैं, किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए दिया गया है।

उपरोक्त के अलावा नियम पुस्तिका में उपयोग किये जाने वाले संक्षिप्ताक्षर निम्नानुसार हैं:-

1. "सी.टी.ई." से अभिप्रेत है कमिशनर टेक्नीकल एजुकेशन, मध्यप्रदेश;
2. "रा.गां.प्रौ.वि." से अभिप्रेत हैं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल;
3. "मध्यप्रदेश (म.प्र.)" से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश राज्य जो 01.11.2000 को अस्तित्व में आया है;
4. "TFW" से तात्पर्य "शिक्षण शुल्क छूट योजना सीट" है।
5. "EWS" से तात्पर्य "मध्यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी" है।
6. "सामान्य पूल" से अभिप्रेत है, प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 85 प्रतिशत स्थान, जहां कुल स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 5 प्रतिशत स्थान अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से और 10 प्रतिशत स्थान संस्थागत प्राथमिकता की श्रेणी से भरे जा रहे हैं वहां इसका अर्थ होगा कि प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 95 प्रतिशत स्थान, जहां कुल स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 5 प्रतिशत स्थान केवल अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरे जा रहे हों और जहां अनिवासी भारतीय तथा संस्थागत प्राथमिकता श्रेणी के अंतर्गत कोई प्रवेश नहीं दिए जा रहे हों, वहां इसका अर्थ होगा, प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 100 प्रतिशत स्थान। प्रत्येक संस्था में तथा उसकी प्रत्येक ब्रांच में सामान्य पूल के स्थानों में से 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों (अन्य पिछड़े वर्गों की प्रवर्गों के क्रीमीलियर को छोड़कर) के लिये जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा क्रमशः आरक्षित रखे जायेंगे। अनारक्षित सीटों पर प्रवेश के लिये मध्यप्रदेश के मूल-निवासी की बाध्यता लागू नहीं होगी अर्थात् अनारक्षित सीटों पर मध्यप्रदेश के मूल-निवासियों के साथ-साथ अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जावेगा।

2.3. लागू होना:-

ये नियम ऐसी सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक संस्थाओं (स्ववित्त पोषित) को लागू होंगे, जो इस प्रयोजन के लिए फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अधिसूचित व्यावसायिक पाठ्यक्रम यथा बी.फार्मा, डी.फार्मा, संचालित कर रही हों।

2.4. प्रवेश नियम :-

समस्त व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

2.4.1 स्थानों की उपलब्धता -

मध्यप्रदेश में विभिन्न संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की संख्या निम्नानुसार है:-

संस्थाओं के प्रकार	प्रवेश क्षमता की प्रतिशतता
निजी संस्थाएँ	अ) उन संस्थाओं में जिन्होंने फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिये और सक्षम प्राधिकारी से संस्थागत प्राथमिकता के अधीन स्थान भरने की अनुज्ञा प्राप्त नहीं की है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 100 प्रतिशत।
	ब) उन संस्थाओं में, जिन्होंने प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 5 प्रतिशत तक अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरने के लिये फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, किन्तु जिन्होंने संस्थागत प्राथमिकता प्रवर्ग के अधीन स्थान भरने के लिये अपना विकल्प नहीं दिया है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 95 प्रतिशत (यदि अनिवासी भारतीय स्थान नहीं भरे गए हैं तो ये स्थान सामान्य पूल के स्थानों में संपरिवर्तित हो जाएंगे)
	स) उन संस्थाओं में, जिन्होंने प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 5 प्रतिशत केवल अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरने के लिये फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, तथा जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्थागत प्राथमिकता प्रवर्ग के अधीन 10 प्रतिशत तक स्थान भरने के लिये अनुज्ञा मिल गयी है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 85 प्रतिशत (यदि अनिवासी भारतीय वाले स्थान नहीं भरे गए हैं तो ये स्थान सामान्य पूल के स्थानों में संपरिवर्तित हो जाएंगे) ।

नोट :-

- (क) विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की अद्यतन जानकारी परामर्श (Counselling) संचालित करने वाले सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट <https://dte.mponline.gov.in>. पर उपलब्ध कराई जावेगी ।
- (ख) यदि किसी नई संस्था को अनुमति प्रदान की जाती है, या किसी विद्यमान संस्था में नवीन ब्रांच या विद्यमान ब्रांच की प्रवेश क्षमता में परिवर्तन की जाने की अनुज्ञा उस वर्ष समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो उसे परामर्श (काउंसलिंग) में समाविष्ट किया जा सकेगा, बशर्ते कि संस्था ने संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता तथा राज्य सरकार से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो।

(ख-1) विद्यमान संस्था/पाठ्यक्रमों की निरंतरता फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया, (PCI) नई दिल्ली एवं संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान नहीं की जाती है तो ऐसी संस्थाओं को काउंसिलिंग में शामिल नहीं किया जायेगा।

2.4.2 स्थानों का आवंटन/ आरक्षण -

प्रत्येक संस्था में तथा उसकी प्रत्येक ब्रांच में सामान्य पूल के (कुल अंतर्ग्रहण के 85, 95, 100 प्रतिशत स्थानों में से जो लागू हो) 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों (क्रीमीलियर को छोड़कर) के लिये जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा क्रमशः आरक्षित रखे जायेंगे। विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो तो उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में परामर्श के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि उत्तरोत्तर चरण की काउंसिलिंग आयोजित की जाती है तब पिछले चरण के उपरान्त विभिन्न श्रेणियों में रिक्त स्थानों को नियमानुसार पुनः परिवर्तित (Redistribution) किया जावेगा।

टिप्पणी :-

- (1) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से उम्मीदवार केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है।
 - (2) जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप में परामर्श (Counselling) के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (क) **मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी:-**
ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) अथवा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है,
उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप-1 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2/96/अ.प्र./एक, दिनांक 01 अगस्त, 1996 तथा शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश देखें)।

(ख) **मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) श्रेणी:-**
ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस प्रवेश नियम पुस्तिका में दिये गए निर्धारित **प्रारूप-2** में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र **30 अप्रैल 2022** के पूर्व जारी किया गया हो तो उम्मीदवार को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो अथवा आय प्रमाण पत्र संबंधी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार आय बाबत स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र **प्रारूप-10** में परामर्श के समय प्रस्तुत करना होगा। (देखें मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2/96/आ.प्र./एक, दिनांक 12 मार्च, 1997 एवं आदेश क्रमांक एफ-7-16-2000/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 06.07.2000 तथा शासन द्वारा क्रीमीलेयर के संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश)।

(ग) **जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित की सीटें (J & K Migrants Seats):**
हेतु बी.फार्मा / डी.फार्मा के पाठ्यक्रमों में स्थानों का आरक्षण:

जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग के पुत्र/पुत्रियों के लिए प्रत्येक संस्था में स्वीकृत प्रवेश क्षमता की एक सीट कश्मीरी विस्थापित परिवार के पुत्र/ पुत्रियों के लिए आरक्षित रहेगी। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को निर्धारित **प्रारूप-7** में जम्मू एवं काश्मीर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

इसी वर्ग के अंतर्गत मध्यप्रदेश सेवा के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को, जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हों को भी उल्लेखित आरक्षित स्थानों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित **प्रारूप-8** में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

(घ) **जम्मू एवं काश्मीर राज्य के निवासियों की सीटें (J & K Residents Seats)**
प्रत्येक संस्था में सामान्य पूल की सीटों में से एक-एक सीट जम्मू एवं काश्मीर राज्य के निवासियों के लिये आरक्षित की गई हैं

(इ) मध्यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) हेतु आरक्षण:-

मध्यप्रदेश में स्थित निजी तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षण फार्मसी संस्थाओं में प्रवेश हेतु म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./ एक, भोपाल, दिनांक 02 जुलाई 2019 एवं फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रावधान अनुसार फार्मसी Act 1948 u/s 12 के अंतर्गत स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत स्थान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) अभ्यर्थियों हेतु उपलब्ध होंगे तथा केवल मध्यप्रदेश के मूल-निवासी ऐसे अभ्यर्थियों जिनके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का प्रमाण-पत्र उपलब्ध होगा, को प्रवेश दिया जावेगा।

ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप-11 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 02 जुलाई 2019 तथा शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश एवं सीटों के संबंध में भारतीय भेषजी परिषद् (PCI), नई दिल्ली द्वारा जारी किये गए प्रावधान देखें)।

**(च) शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत उपलब्ध सीट
(Tuition Fee Waiver Scheme)**

फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रावधान अनुसार फार्मसी Act 1948 u/s 12 के अंतर्गत अनुमोदित फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली केवल ऐसी संस्थाएँ जिसमें गत वर्ष न्यूनतम 30 प्रतिशत प्रवेश हुये हों, ऐसी समस्त संस्थाओं में शिक्षण शुल्क में छूट की योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी। जिसके अंतर्गत प्रत्येक पाठ्यक्रम में स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य रूप से उपलब्ध होंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रुपये 8.00 (आठ) लाख रुपये से अधिक न हो, इन स्थानों के लिए प्रवेश हेतु पात्र होंगे। शिक्षण शुल्क में छूट की योजना के अंतर्गत रियायत केवल शिक्षण शुल्क की राशि जैसा कि प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित की गई हो, तक सीमित होगी और शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क अभ्यर्थियों द्वारा वहन किए जाएंगे। इस श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर, ये स्थान अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरे जाएंगे। इस श्रेणी के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी

ब्रांच या संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा। इन स्थानों पर प्रवेश के सभी चरणों में परामर्श (काउंसलिंग) की जावेगी। प्रवेश प्रक्रिया उसी प्रकार से होगी, जैसी कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाए। इस योजना के अधीन केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र होंगे।

(छ) एन.आर.आई. (NRI) सीटें: -

समस्त संस्थाओं में जिनमें फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम “प्रवेश विनियम, 2011” दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

2.5 प्रवेश हेतु पात्रता :

- 1) जो भारत का नागरिक हो
- 2) शैक्षणिक अर्हता

(अ) फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रावधान अनुसार **बी.फार्मसी** पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार को निम्नलिखित में से कोई भी एक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है:-

Candidate shall have passed 10+2 examination conducted by the respective state/central government authorities recognized as equivalent to 10+2 examination by the Association of Indian Universities (AIU) with English as one of the subjects and Physics, Chemistry, Mathematics (P.C.M.) and or Biology (P.C.B./P.C.M.B.) as optional subjects individually. Any other qualification approved by the Pharmacy Council of India as equivalent to any of the above examinations.

(ब) फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रावधान अनुसार **डिप्लोमा फार्मसी** पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार को निम्नलिखित में से कोई भी एक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है:-

A pass in 10+2 examination (science academic stream) with Physics, Chemistry and Biology or Mathematics.

Or

Any other qualification approved by the Pharmacy Council of India as equivalent to the above examination.

नोट:-

1. ऐसे उम्मीदवार भी प्रवेश के लिये पात्र होंगे जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा कृपांक (ग्रेस) के साथ उत्तीर्ण की होगी
 2. ऐसे समस्त उम्मीदवार जो अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची ग्रेडिंग सिस्टम पर आधारित है, अंकसूची में दिए परिवर्तन सूत्र अनुसार ग्रेड को अंकों में परिवर्तित कर प्रस्तुत करना होगा।
- 3) **मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकतायें**

(M.P. Domicile Requirements)

बी.फार्मा/ डी.फार्मा की सामान्य पूल की सीटों जिन पर नियमानुसार मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) आरक्षण का प्रावधान रखा गया है, इन सीटों पर प्रवेश हेतु चयन के लिये पात्रता होगी:-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक दिनांक 29 जून, 2013 के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिये सक्षम प्राधिकारी (नायब तहसीलदार/ तहसीलदार) द्वारा जारी स्थानीय प्रमाण-पत्र **प्रारूप-6** अनुसार प्रस्तुत करना आवश्यक है।

2.6 प्रवेश की रीति

अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तियों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर काउंसलिंग प्रक्रिया सम्पादित की जाएगी।

2.7 प्रवेश की प्रक्रिया

2.7.1 ऑन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया

(Admission Procedure of Online Offcampus Counselling:)

राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए आन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग (परामर्श) संचालित करने का विनिश्चय किए जाने की दशा में राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए घोषित सक्षम प्राधिकारी, विस्तृत कार्यक्रम को अंतिम रूप देगा और प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियां (कट ऑफ डेट्स) घोषित करते हुए वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा।

2.7.2 अनिवासी भारतीयों के स्थानों के विरुद्ध प्रवेश की प्रक्रिया :-

2.7.2.1 समस्त संस्थाओं में जिनमें फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में

प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम "प्रवेश विनियम, 2011" दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

2.7.2.2 अनिवासी भारतीय के रिक्त स्थानों का संपरिवर्तन -

अनिवासी भारतीयों के रिक्त स्थान, जैसा कि अनिवासी भारतीय के न भरे गये स्थानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सामान्य पूल के स्थानों में संविलीन कर दिए जाएंगे तथा इन स्थानों की पूर्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा, सामान्य पूल के स्थानों की प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी।

2.8 प्रवेश हेतु चयन पद्धति

राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रारूप-9 में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर नेशनल 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर मेरिट सूची में स्थान निर्धारित किया जायेगा। उम्मीदवार को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त करने के विषय में निर्धारित **प्रारूप-9** में प्रमाण-पत्र संचालक, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

2.8.1 योग्यता क्रम सूचियां

उम्मीदवारों द्वारा अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर बी.फार्मा/डी. फार्मा. पाठ्यक्रमों हेतु एकीकृत योग्यता क्रम सूचियाँ (Common Merit Lists), के साथ-साथ अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ी जाति (OBC) (क्रीमिलियर को छोड़कर) श्रेणियों के लिये श्रेणीवार/वर्गवार अलग-अलग योग्यता क्रम सूचियां तैयार की जावेगी। उपरोक्त पाठ्यक्रमों में इन योग्यता क्रम सूचियों से प्रवेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित परामर्श (Counselling) के माध्यम से किये जावेंगे।

2.8.2 बी.फार्मा. व डी.फार्मा. पाठ्यक्रमों हेतु संस्था का आवंटन प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को अर्हकारी परीक्षा की मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

2.8.3 समान कुल अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Interse Merit)

अर्हकारी परीक्षा में समान कुल अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Interse Merit) निम्नलिखित क्रम में निश्चित की जाएगी -

- (1) एक समान अंक प्राप्त होने पर बायोलॉजी/गणित विषय में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर रखा जावेगा बायोलॉजी/गणित विषय में भी समान अंक होने पर भौतिक विषय शास्त्र एवं भौतिक शास्त्र विषय में भी समान अंक होने पर रसायन शास्त्र विषय में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर रखा जायेगा। रसायन शास्त्र विषय में भी समान अंक प्राप्त होने पर अधिक आयु वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर रखा जावेगा। तत्पश्चात् आयु में भी समानता होने पर उम्मीदवार के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर योग्यताक्रम सूची में रखा जावेगा।
- (2) ऐसे उम्मीदवार को जो 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार लिए हैं, मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त उस उम्मीदवार से नीचे रखा जाएगा जिसे ऐसा अधिभार प्राप्त नहीं है ।

2.8.4 प्रवेश प्रक्रिया की सामान्य जानकारी :

- 2.8.4.1** सामान्य पूल सीटों, जम्मू कश्मीर विस्थापित एवं जम्मू कश्मीर निवासी सीटों के लिये बी.फार्मा./डी.फार्मा पाठ्यक्रम में योग्यताक्रम सूचियों के अनुसार दिये जा सकेंगे।
- 2.8.4.2** समस्त प्रवेश काउंसिलिंग के माध्यम से किये जावेंगे। काउंसिलिंग का कार्यक्रम विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जावेगा। काउंसिलिंग का विस्तृत कार्यक्रम सक्षम प्राधिकारी/संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाइट <https://dte.mponline.gov.in> पर उपलब्ध रहेगा। इसके लिये उम्मीदवारों को अलग से कोई भी कॉल लेटर नहीं भेजा जावेगा।

2.8.4.3 मूल प्रमाण- पत्र

काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे, सत्यापन उपरान्त उनके मूल प्रमाण-पत्र संस्था द्वारा वापिस कर दिये जायेंगे। उम्मीदवारों को टी.सी. एवं माईग्रेशन को छोड़कर अन्य मूल प्रमाण-पत्र प्रवेशित संस्था में जमा नहीं करने हैं।

नोट:- काउंसिलिंग पोर्टल के माध्यम से केंद्रीकृत/संस्था स्तर काउंसिलिंग (सीएलसी) में, संस्थान/पाठ्यक्रम के आवंटन के बाद, उम्मीदवार को

शासन/प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति (एएफआरसी) द्वारा निर्धारित शुल्क तथा मूल टीसी/माइग्रेशन आवंटित संस्था में जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त, यदि उम्मीदवार किसी भी माध्यम से प्रवेश प्राप्त करने के लिये किसी संस्था या व्यक्ति को कोई शुल्क जमा करता है अथवा अपने मूल दस्तावेज जमा करता है/सौंपता है, तो इसके लिये उम्मीदार स्वयं जिम्मेदार होगा।

2.8.4.4 प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में संस्थाओं के अंतरण हेतु अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

2.8.4.5 निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् संस्थाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी।

2.9 प्रवेश का क्रम :-

2.9.1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीकृत परामर्श (काउंसिलिंग) से उन संस्थाओं के स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे जिन्होंने समुचित प्राधिकारी से इसके लिए अनुज्ञा प्राप्त कर ली है। यह स्थान सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया तथा कार्यक्रम के अनुसार भरे जाएंगे तथा कोई स्थान रिक्त रहने की दशा में यह स्थान सामान्य पूल में सम्मिलित किए जाकर केन्द्रीयकृत परामर्श (काउंसिलिंग) से भरे जाएंगे।

2.9.2 केवल उन संस्थाओं को, जिन्होंने संस्थागत प्राथमिकता की सीटों के माध्यम से प्राप्त अतिरिक्त आय से स्नातक, डिप्लोमा एवं पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रवेशित समस्त अभ्यर्थियों को शिक्षण शुल्क में 10 प्रतिशत छूट प्रदान करने की सहमति दी हो, स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत स्थानों को अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के योग्यताक्रम में और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया/राज्य शासन द्वारा निर्धारित पात्रता मानदण्ड पूरा करने पर प्रवेश नियम 2008 (यथा संशोधित) तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार भरने की अनुमति दी जायेगी।

2.9.3 सामान्य पूल के परामर्श (काउंसिलिंग) में, यदि आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करता है, तो उसे सर्वप्रथम अनारक्षित श्रेणी में सीट आवंटित की जाएगी। यदि अनारक्षित श्रेणी में उसे उसकी

प्राथमिकता के अनुसार सीट नहीं प्राप्त होती है, तो उसे उसकी पात्रतानुसार आरक्षित श्रेणी में सीट आबंटित की जाएगी।

ऐसे आबंटन के पश्चात्, रिक्त आरक्षित सीटें पारस्परिक रूप से निम्न क्रम में परिवर्तित एवं आबंटित की जाएंगी अर्थात् अनुसूचित जनजाति से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति से अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग से अनुसूचित जनजाति।

2.9.4 आरक्षित प्रवर्गों के लिए परामर्श (काउंसिलिंग) संचालित करने तथा आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सीटों का आबंटन करने के पश्चात्, रिक्त सीटें, यदि कोई हों, अनारक्षित सीटों में संविलीन की जाएंगी और उसके पश्चात् अनारक्षित सीटों पर पुनः आबंटन किया जाएगा।

2.10 प्रवेश का रद्द किया जाना :-

- (1) यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाए कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा।
- (2) प्रवेशित सत्र के लिये संवैधानिक निकाय द्वारा जारी शैक्षणिक कैलेंडर प्रभावशाली रहेगा, उक्त कैलेंडर में प्रवेश निरस्त उपरान्त शुल्क वापसी के लिये निर्धारित तिथि के पश्चात्, प्रवेश निरस्त कराये जाने पर, शिक्षण शुल्क की वापसी मान्य नहीं होगी।
- (3) **रद्दकरण के पश्चात् स्थानों की स्थिति:-**
प्रवेश के रद्दकरण के कारण या निर्धारित तारीख के भीतर (जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाए) अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्ट न करने के कारण उद्भूत होने वाले रिक्त स्थान, विद्यमान चरण की अपग्रेड प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा (यदि लागू हो तो) या अगले चरण की काउंसिलिंग (यदि संचालित की जाती है) में आबंटन के लिये उपलब्ध कराया जाएगा।
- (4) प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश रद्द करने संबंधी कार्यवाही केवल प्रवेशित संस्था द्वारा ही की जावेगी।

2.11 शिक्षण तथा अन्य फीस:-

प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति ने बी.फार्मेसी/ डी.फार्मेसी, पाठ्यक्रम संचालित करने वाली विभिन्न संस्थाओं द्वारा उम्मीदवारों से लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क एवं अन्य

शुल्क के आदेश समय-समय पर जारी किए हैं। प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों को प्रचलित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क प्रवेशित संस्था में जमा करने होंगे।

संस्थागत प्राथमिकता की सीटों के लिए शिक्षण शुल्क :-

अधिकतम 1.50 लाख रूपए प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी संपूर्ण पाठ्यक्रम अवधि के लिये होगा। संस्था उपरोक्त शुल्क से भिन्न कम शुल्क प्रभारित कर सकेगी तथापि यह शिक्षण शुल्क सामान्य पूल की सीटों के लिए विहित शिक्षण शुल्क से किसी भी परिस्थिति में कम न होगा। परन्तु प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति तथा सक्षम प्राधिकारी को इसकी सूचना अग्रिम में देना होगी ।

2.12 नियमों/प्रक्रियाओं का उपांतरण:-

मध्यप्रदेश राज्य सरकार, स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु, प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति से सम्यक् परामर्श करने के पश्चात् प्रवेश के लिए किसी उपबंध/नियम/प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है और इस प्रकार किया गया कोई उपांतरण आबद्धकर होगा।

अभिकरण की ओर से किसी उल्लंघन या इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन से व्यथित कोई अभ्यर्थी, प्रक्रिया या अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में वाद हेतु तथा अधिकथित चूक दर्शाते हुए समिति को आवेदन कर सकेगा।

2.13 पाठ्यक्रम:-

फार्मैसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये मापदंड, आवश्यकतायें एवं अन्य शर्तें फार्मैसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार होगी।

2.14 निर्वचन:-

उम्मीदवारों के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नों पर तथा प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (**Interpretation**) संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर निर्णय लेने में मध्यप्रदेश राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा एवं जिसका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

2.15 अधिकारिता:-

किसी भी विवाद के मामले में अधिकारिता केवल मध्यप्रदेश में गठित तथा स्थित न्यायालयों तक ही सीमित रहेगी।

प्रवेश नियम की प्रति संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाईट <https://dte.mponline.gov.in>. पर उपलब्ध रहेगी।

**अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)**

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक.....प्रकरण क्रमांक..... प्रमाण पत्र क्रमांक.....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कुमारी.....
पिता/पति का नाम..... निवासी
ग्राम/नगर वि.खं तहसील
जिला..... संभाग.....के.....जाति/ जनजाति का/
की सदस्य है और इस जाति/ जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य
के संबंध में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और
यह..... जाति/ जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम ,
1976के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक.....पर अंकित हैं।
अतःश्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति
का नामअनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी के
परिवार की कुल वार्षिक आय रूपए.....है।

हस्ताक्षर

दिनांक.....

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

(सील)

पदनाम

- टिप्पणी (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति।
- (2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र मान्य होंगे। (अ) कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ.(अनुविभागीय अधिकारी) उपसंभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक/अधिकारीएवम्/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना।

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र

स्थायी प्रमाण पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी
(प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक.....प्रकरण क्रमांक प्रमाण पत्र क्रमांक

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पुत्री/श्री.....निवासी/ग्राम/शहर.....
तहसील..... जिला.....मध्य प्रदेश के निवासी हैं,
जो.....जाति के हैं जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन,
आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5
पच्चीस 4-84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक
एफ 23-4-97-चैवन, दिनांक 2 अप्रैल, 1997 तथा इस संदर्भ में समय-समय पर जारी
अधिसूचनाओं द्वारा अधिमान्य किया गया है और सूची के क्रमांक..... पर अंकित है।

श्री..... और/या उनका परिवार सामान्यतः
मध्यप्रदेश के जिला संभाग.....में निवास करता है

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री..... क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिशिष्ट क्र 380/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में तथा मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7-26/93/1-आ.प्र., दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट “ई” की अनुसूची के कॉलम (3) में किया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन श्री/श्रीमती/कुमारी..... के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपयेहैं।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक को प्रवजन कर चुका है।

दिनांक

(सील)

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण पत्र

भूतपूर्व सैनिक/मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी/स्थायी रूप से दिव्यांग प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती के पुत्र/ पुत्री (परीक्षार्थी का नाम)

जो प्रवेश परीक्षा का नाम.....वर्ष.....के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम).....पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है, श्री/ श्रीमती..... के पिता/माता है जो-

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक है। सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति के समय वे.....पद पर थे/थी उनका सर्विक्रमांक.....था।

अथवा

(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में..... पद पर सर्विस क्रमांक..... के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से दिव्यांग हो गए हैं/सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष उन्होंने में हो चुकी है।

स्थान:

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक:.....

(कार्यालय सील)

मध्यप्रदेश में/मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....के पुत्र/पुत्री (परीक्षार्थी का नाम).....जो प्रवेश परीक्षा का नाम.....वर्ष.....के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम).....पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार हैं, के पिता/माता है जो-

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना में ओहदे पर सर्विस क्रमांक के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश में स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है वे इस इकाई में दिनांक.....से सेवारत है।

अथवा

(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में के ओहदे पर सर्विस क्रमांक.....के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है।

स्थान:

हस्ताक्षर: आफिसर कमांडिंग

दिनांक:.....

(कार्यालय सील)

**भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में
व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र**

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी(उम्मीदवार का नाम).....जो परीक्षा का नाम).....वर्ष..... के आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार से.....पर (पाठ्यक्रम का नाम) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी के पिता/माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक हैं और स्थायी रूप से (स्थान) तहसील.....जिला.....में व्यवस्थापित हो गये हैं।

स्थान:.....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक:.....

(कार्यालय सील)

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री /कुमारी) उम्मीदवार का नाम.....(श्री/श्रीमती) उम्मीदवार के पिता /माता का नाम)..... के वैध (Legitimate) पुत्र/ पुत्री हैं।

श्री/श्रीमती (उम्मीदवार के माता/ पिता नाम)

.....श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम)

..... के वैध (Legitimate) पुत्र/ पुत्री हैं।

एवं

श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम)..... का नाम

मध्यप्रदेश के जिला.....(जिले का नाम) में संधारित (Maintained)

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी (Register) में क्रमांक.....पर पंजीकृत है।

स्थान:.....

हस्ताक्षर कलेक्टर

दिनांक:.....

(कार्यालय सील)

स्थानीय निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

कार्यालय नायब तहसीलदार/ तहसीलदार

टप्पा/ तहसील..... जिला.....

प्र.क्र. वर्ष..... दिनांक.....

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

यहा आवेदक का
पासपोर्ट साईज का
फोटो लगाया जाये जो
प्राधिकृत अधिकारी
द्वारा सत्यापित
किया जायें

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमति/ कु.....
पिता/पति.....निवासी.....तह
सील.....जिला.....

(मध्यप्रदेश).राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र जारी किये जाने
के लिये प्रभावशील ज्ञाप दिनांक..... में निर्धारित मापदण्ड की
कण्डिका क्रमांक.....की पूर्ति करने फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है।

2.* प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन
क्रमांक.....दिनांकके अधीन आवेदक द्वारा दिये विवरण अनुसार की
पत्नी/अवयस्क बच्चे जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है:-

टीप:- यह प्रमाण पत्र जाति निर्धारण के लिये जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र की
जांच में साक्ष्य हेतु विचारार्थ ग्राह्य नहीं होगा।
(आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर जारी)

ह.तहसील/नायब तहसीलदार
तहसील.....
जिला.....

जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित उम्मीदवार संबंधी प्रमाण-पत्र

Office of the Zonal Officer

TO WHOM IT MAY CONCERN

Certified that
S/o or D/o R/o
..... Tehsil
District..... A/P..... Pin
..... is registered from No.
R/Card No..... At S.
No. of his/her father ration card issued from
this zone.

Seal of Tehshildar

Zonal Officer / Tehshildar

मध्यप्रदेश के अधिकारी/कर्मचारी जिनकी पदस्थापना आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्य में की गई का प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
 आत्मज/आत्मजा/श्री
 जो (परीक्षा का नाम) वर्ष के आधार पर
 (पाठ्यक्रम का नाम)में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के
 विस्थापित उम्मीदवारों की सीटों के विरुद्ध प्रवेश का उम्मीदवार है ।

श्री..... (उम्मीदवार का नाम) के
 पिता/माता श्री/श्रीमती..... मध्यप्रदेश
 सेवा के अधिकारी/ कर्मचारी है जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी
 गतिविधियों के नियंत्रण हेतु दिनांक से दिनांक
 तक (स्थान का नाम) में रही है ।

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक.....

(सील)

**राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले
खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र**

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
आत्मज/ आत्मजा/ श्री.....ने वर्ष
की..... मे भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल
विभाग नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त खेल संगठनों के अधिकार पत्र पर
आयोजित.....राष्ट्रीय प्रतियोगिता में
.....स्वर्ण पदक अर्जित किया है।

स्थान

संचालक

दिनांक

खेल और युवक कल्याण, मध्यप्रदेश

हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा

नोट:- ओपन, जूनियर, सीनियर एवं नेशनल गेम्स राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के अतिरिक्त
अन्य राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को इस हेतु राष्ट्रीय प्रतियोगिता की श्रेणी में नहीं माना
जावेगा।

प्रारूप -10

आय बाबत स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र (सादे कागज पर)

मैं..... आत्मज श्री.....आयुवर्ष शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि:-

1. मैं वर्तमान में में निवासरत हूँ।
2. मेरी नाम से ग्राममें हैकटेयर/एकड़ कृषक भूमि है, जिससे मुझे रुपये शब्दों में की वार्षिक आय होती है।
3. मेरा व्यवसाय है, इससे मुझे वार्षिक आय रुपये शब्दों मेंहै।
4. गृह संपत्ति से मेरी वार्षिक आय रुपये शब्दों में है।
5. मेरे परिवार निम्नानुसार सदस्य है:-
1.....2.....3.....4.....5
(परिवार से आशय पति/पत्नि/अवयस्क पुत्र/पुत्री/आश्रित माता या पिता से है)
6. मेरे परिवार के उक्त समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय रुपयेशब्दों में.....है।
7. मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व कोई आय प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया है/शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। **अथवा**
8. मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व लगभग समय पूर्व एक आय प्रमाण -पत्र/शपथ-पत्र राशि रुपये वार्षिक का प्राप्त किया/दिया था। मेरी आय अब परिवर्तित हो गई है। अतः परिवर्तित आय राशि वार्षिक का आय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
(बिन्दु क्रमांक 7 एवं 8 में जो लागू न हो उसे काट दें।)

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं.....आत्मज/पति श्री.....आयु.....वर्ष, निवासीसत्यापन करता/करती हूँ कि शपथ-पत्र की कण्डिका 1 से 8 तक में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापिस लिये जायेंगे। सत्यापन आज दिनांकवर्ष को स्थान.....में किया गया।

हस्ताक्षर

(सामान्य प्रशासन विभाग का जापन क्रमांक एफ 07-11/2019/आ.प्र./एक, दिनांक 02 जुलाई 2019
का संलग्नक)

मध्य प्रदेश शासन

कार्यालय का नाम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य
द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र
प्रमाण-पत्र संख्या.....
दिनांक-.....

वित्तीय वर्षके लिए मान्य
प्रमाणित किया जाता है, कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पति/पुत्री..... ग्राम/कस्बा पोस्ट
ऑफिस थाना तहसील
..... जिला राज्य पिन कोड
..... के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से
कमजोर वर्ग के सदस्य है, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक
आय 08 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में
से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

- I. जिसके पास 5 एकड़ या उससे अधिक भूमि हो (जिसके खसरे में तीन साल से लगातार
उसर, पथरीली, बीहड़ भूमि अंकित हो, वह भूमि में शामिल नहीं होगी) ।
 - II. जिसके पास 1200 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट नगर निगम क्षेत्र में स्थित
हो।
 - III. जिसके पास नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट हो।
 - IV. नगर परिषद क्षेत्र में जिसके पास 1800 वर्गफुट से ज्यादा का आवासीय मकान/फ्लैट हो ।
2. श्री/ श्रीमती/कुमारी जाति..... के सदस्य
है जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित
नहीं है।

आवेदक का पासपोर्ट साईज
का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर.....(कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम

पदनाम

अनुविभागीय अधिकारी /तहसीलदार

DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, MADHYA PRADESH

TENTATIVE SEATS IN B. Pharmacy COURSE FOR THE

SESSION 2025-26

S. No.	Institute Name	Total Intake
Government Aided		
1	Shri G.S. Institute of Technology & Science, Indore (M.P.)	60
University owned		
1	Department of Pharmacy, Bharkatullah University, Bhopal	60
2	Rani durgavati vishwavidyalaya saraswari vihar civil line jabalpur	60
3	School of Studies in Pharmaceutical Sciences, Jiwaji University, Gwalior	100
Private		
1	Acharya rajendra suri shiksha mahavidhyalaya, mandsour	100
2	Acropolis Institute of Pharmaceutical Education and Research, Indore	100
3	Adina college of pharmacy, sagar	100
4	Adina Institute of Pharmaceutical Sciences, Sagar	100
5	Aditya college of pharmacy, satna	100
6	Advance college of pharmacy, datia	60
7	Akhil bharti college of pharmacy, bhopal	100
8	Ansh college of pharmacy, gwalior	60
9	Awadhmadvav college of pharmacy, gwalior	60
10	Ayush gram college of pharmacy ratlam	60
11	B.r.college, banmore, morena	60
12	Baba Loknath Institute of Pharmacy Science and Research Centre, Sagar	60
13	Babulal tarabai institute of pharmaceutical science, sagar	100
14	Bala ji pharmacy college, chhatarpur	60
15	Bansal College of Pharmacy, Bhopal	100
16	Betwanchal College of Pharmacy, Vidisha	60
17	Bhagyoday tirth pharmacy college, sagar	100
18	Bhopal Institute of Technology & Science - Pharmacy Bangrasiya, Bhopal	100
19	BM College of Pharmaceutical Education and Research, Indore	100
20	BVM College of Pharmacy, Gwalior	60
21	Chameli Devi Institute of Pharmacy, Indore	100
22	Charak Institute of Pharmacy, Khargone	100
23	Chordia Institute of Pharmacy, Indore	60
24	Compfeeders aiseet college of professional studies pharmacy college, indore	100
25	Corporate institute of pharmacy, bhopal	100
26	D p college of pharmacy agar malwa	60
27	Daksh Institute of Pharmaceutical Science, Chhatarpur	100
28	Daksh pharmacy college, chhatarpur	60
29	Divine international group of institutions, gwalior	60
30	Dr bhagat singhrai college of pharmacy, seoni	60
31	Dr. Shri RMS Institute of Science and Technology, College of Pharmacy, Mandsaur	100

32	Globus College of Pharmacy, Bhopal	100
33	Gracious college of pharmacy, balaghat	100
34	GRY Institute of Pharmacy (Borawan), Khargone	100
35	Gulab kali memorial college of pharamacy, rewa	60
36	Guru ramdas khalsa institute of science and technology, jabalpur	100
37	Gurukul Institute of Pharmaceutical Science & Research, Gwalior	60
38	Gurukul school of pharmacy, indore	60
39	Gyan ganga institute of technology & sciences, jabalpur	100
40	Gyan sagar college of pharmacy, sagar	100
41	Gyanodaya institute of pharamacy, neemuch	100
42	Gyanveer college of pharmacy, sagar	60
43	Hayward college of pharmacy, gwalior	60
44	Hindupat institute of pharmacy, raghogarh, guna madhya pradesh	60
45	Hitkarini college of pharmacy, jabalpur	60
46	Iasscom institute of pharmaceutical sciences bhopal	100
47	Indira institute of professional studies, bhopal	60
48	Indore Institute of Pharmacy, Indore	100
49	Indore mahavidyalaya, indore	100
50	Institute of Professional Studies - College of Pharmacy, Gwalior	100
51	IPS Academy, College of Pharmacy, Indore (MP)	100
52	Jagadguru dattatray college of pharmacy, indore	100
53	Jai institute of pharmaceutical sciences and research, gwalior	60
54	Jai narain college of pharmacy, bhopal	60
55	Jai shri shyam college, gwalior	60
56	Jain college, gwalior	100
57	Kailash Narayan Patel College of Pharmacy, Bhopal	100
58	Keshav institute of pharmaceutical sciences tikamgarh mp	60
59	Kewal shri institute of pharmacy indore	60
60	Khajuraho institute of pharmaceutical sciences, chhatarpur	100
61	Krishna Institute of Pharmaceutical Science And Research, Badarwas	60
62	L.n.college of pharmaceutical studies, indore	60
63	Lakhsmi Narain College of Pharmacy (RCP), Indore	100
64	Lakshmi Narain College of Pharmacy, Bhopal	100
65	Lakshmi Narain College of Pharmacy, Gwalior	60
66	Laxmi bai sahuji college of pharmacy, jabalpur	100
67	M.s.m. shri ram sita shiksha sewa sansthan, satna	60
68	Mahakal Institute of Pharmaceutical Studies, Ujjain	100
69	Malhotra college, bhopal	100
70	Mathuradevi Institute of Pharmacy, Indore	100
71	Meera devi pharmacy college, shivpuri	60
72	Millennium college of pharmacy and science, bhopal	100
73	Millennium College of Pharmacy, Bhopal	100
74	Mittal Institute of Pharmacy, Bhopal	100
75	Modern Institute of Pharmaceutical Sciences, Indore	100

76	Mspm college of pharmacy, shivpuri	60
77	Nagaji Institute of Pharmaceutical Science, Gwalior	60
78	New era college, indore	60
79	Nimar Institute of Pharmacy, Dhamnod (Dhar)	60
80	Novel Institute of Pharmacy, Bhopal	60
81	NRI Institute of Pharmaceutical Sciences, Bhopal	100
82	NRI Institute of Pharmacy, Bhopal	100
83	Nri-institute of research & technology, bhopal	100
84	Nutanban Mansukhbhai Turakhia Gujarati College of Pharmacy, Indore	100
85	Ojaswini pharmacy college, sagar	60
86	Oriental College of Pharmacy, Bhopal	100
87	Oriental institute of pharmacy and research, bhopal	100
88	Oriental institute of pharmacy lalburra, balaghat	100
89	Oxford international college, indore	100
90	Parijat college of pharmacy, indore	100
91	Patel college of pharmacy, indore	100
92	Pranav institute of pharmaceutical science and research, gwalior	60
93	Prathvi college of pharmacy, gwalior	100
94	Prof. Brijmohan Mishra Institute of Medical and Technical Sciences, Burhanpur	60
95	R d memorial college of pharmacy and research, indore	100
96	Radha krishan college of pharmacy, datia	60
97	Radha krishna pharmacy college rampur chaurasi satna	60
98	Radhadevi ramchandra mangal institute bhatkhera, neemuch	100
99	Radharaman College of Pharmacy, Bhopal	100
100	Radharaman Institute of Pharmaceutucal Sciences, Bhopal	100
101	Raghukul college of pharmacy, bhopal	100
102	Rajiv Gandhi College of Pharmacy, Bhopal	100
103	Ravi Shanker College of Pharmacy, Bhopal	100
104	Rbs institute of education, neemuch	60
105	Rewa College of Pharmacy, Rewa	100
106	Royal Institute of Management and Advanced Studies, Ratlam	100
107	S.d.college of pharmacy, betul	100
108	S.ls college of pharmacy ,sagar	60
109	Sagar Institute of Pharmaceutical Sciences, Sagar	100
110	Sagar Institute of Pharmaceutical Technology and Research (siptec-R), Bhopal	60
111	Sagar Institute of Pharmacy & Technology (SIPTEC), Bhopal	100
112	Sagar Institute of Research, Technology and Science - Pharmacy, Bhopal	100
113	Shanti college of pharmacy, datia	60
114	Shanti college of pharmacy, nowgong	100
115	Shivajirao Kadam Institute of Pharmaceutical Education and Research, Indore	100
116	Shivam college of pharmacy, seoni	60
117	Shivnath singh college, gwalior	60
118	Shree balaji college of pharmacy, chhindwara	60
119	Shree ji college of pharmacy, mandsour	60

120	Shri bherulal pharmacy institute, indore	100
121	Shri radhakrishnan college bhopal	60
122	Shri ram college of pharmacy, bhopal	100
123	Shri Ram College of Pharmacy, Morena	100
124	Shri ram group of institutions (faculty of engineering, pharmacy, mca, mba) jabalpur	100
125	Shri Ram Institute of Pharmacy, Jabalpur	100
126	Shri Ram Institute of Technology Pharmacy, Jabalpur	100
127	Shri Ram Institute of Technology. Diploma in Pharmacy, Jabalpur	100
128	Shri rama krishna college of pharmacy, satna	100
129	Shri Ramnath Singh Inst. Of Pharmaceutical. Sc & Technology., Gwalior	100
130	Shri ramnath singh mahavidalaya (pharmacy) gormi, bhind	100
131	Shri ravindranath tagore institute of professional studies, khandwa	60
132	Shri rawatpura sarkar college, sagar	100
133	Shri rawatpura sarkar institute of pharmacy, chitrakoot	60
134	Shri Rawatpura Sarkar Institute of Pharmacy, Datia	100
135	Shri rawatpura sarkar institute of pharmacy, jabalpur	100
136	Shri Sahaj Institute of Pharmacy, Khargone	100
137	Shri vaishnavi institute of pharmacy, raisen	60
138	Shrikrishna pharmacy college, rewa	100
139	Silicobay katni degree college gyanteerth, katni	100
140	Sir atma ram institute of pharmacy and technology, jabalpur	60
141	Smriti College of Pharmaceutical Education, Indore	100
142	Somya school of pharmacy myana guna	60
143	Sri Aurobindo Institute of Pharmacy, Indore	100
144	St. George institute of pharmacy, raisen	100
145	Sun Institute of Pharmaceutical Education & Research (SIPER), Lahar, Bhind	100
146	Surabhi college of pharmacy, bhopal	100
147	Svi college of pharmacy and research, gwalior	60
148	Swami Vivekanand College of Pharmacy, Bhopal	100
149	Swami Vivekanand College of Pharmacy, Indore	100
150	Technocrats institute of technology and science pharmacy, bhopal	100
151	Technocrats institute of technology-pharmacy, bhopal	100
152	Thakur shivkumarsingh memorial pharmacy college, burhanpur	100
153	Times college of pharmacy, damoh	60
154	TIT College of Pharmacy, Bhopal	100
155	Truba institute of pharmacy, bhopal	100
156	Ujjain Institute of Pharmaceutical Sciences Ujjain	100
157	Vaishnavi institute of pharmacy, raisen	100
158	Vedant institute of professional study, gwalior	60
159	Vedic Institute of Pharmaceutical Education and Research, Sagar	100
160	Vedic pharmacy college, sagar	60
161	Vee academy, gwalior	60
162	Vidhik institute, bhopal	60
163	Vidyasagar college of pharmacy, indore	60

164	Vikramaditya institute of pharmaceutical science,hoshangabad	100
165	Vikrant institute of pharmacy and science indore	60
166	Vinayaka college of pharmacy, indore	100
167	Vivekanand College of Pharmacy, Bhopal	100
168	Vns group of institutions, bhopal	100
169	Yogeshwar college of pharmacy, badwani	60
170	Yuva Institute of Pharmacy, Guna	100

DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, MADHYA PRADESH
TENTATIVE SEATS IN DIPLOMA PHARMACY COURSE FOR THE SESSION 2025-26

S. No.	Institute Name	Total Intake
Government Autonomous		
1	Kala Niketan Government Polytechnic College, Jabalpur	60
2	S.V. Polytechnic College, Bhopal	60
University Owned		
1	School of Studies in Pharmaceutical Sciences, Jiwaji University, Gwalior	60
PRIVATE		
1	Aadhya college of pharmacy, sagar	60
2	Acharya rajendra suri shiksha mahavidhyalaya, mandsour	60
3	Acropolis Institute of Pharmaceutical Education and Research, Indore	60
4	Adarsh mahavidyalaya, rajgarh	60
5	Aditya college of pharmacy, satna	60
6	Ads group of pharmacy, bhopal	60
7	Advance college of pharmacy, datia	60
8	Akhil bharti college of pharmacy, bhopal	60
9	Ambika institute of pharmacy, shivpuri	60
10	Ample dreams institute of education pharmacy, sehare	60
11	Ansh college of pharmacy, gwalior	60
12	Awadhmadhav college of pharmacy, gwalior	60
13	Ayush gram college of pharmacy ratlam	60
14	Ayushman group of college, bhind	60
15	B.r.college, banmore, morena	60
16	Baba loknath institute of pharmacy science and research centre, sagar	60
17	Babulal tarabai institute of pharmaceutical science, sagar	60
18	Bala ji pharmacy college, chhatarpur	60
19	Betwanchal College of Pharmacy, Vidisha	60
20	Bhanu college of pharmacy didee bhind (m.p.)	60
21	Bhopal Institute of Technology & Science - Pharmacy Bangrasiya, Bhopal	60
22	Bkp college of pharmacy, sagar	60
23	BM College of Pharmaceutical Education and Research, Indore	60
24	Brd college of pharmacy, hoshangabad	60
25	BVM College of Pharmacy, Gwalior	60
26	Chameli Devi Institute of Pharmacy, Indore	60
27	Chaudhary dilip singh pharmacy college, bhind	60
28	Chetana college of pharmacy khurai	60
29	Chordia Institute of Pharmacy, Indore	60

30	Compfeeders aiseet college of professional studies pharmacy college, indore	60
31	Corporate institute of pharmacy, bhopal	60
32	D p college of pharmacy agar malwa	60
33	Daksh institute of pharmaceutical science, chhatarpur	60
34	Devi Ahilya College of Pharmacy, Indore	60
35	Divine international group of institutions, gwalior	60
36	Divy jyoti pharmacy college, sidhi	60
37	Dr bhagat singhrai college of pharmacy, seoni	60
38	Dr. Shri RMS Institute of Science and Technology, College of Pharmacy), Bhanpura	60
39	Evergreen education society college, hoshangabad	60
40	Feroz gandhi group of college, bhind	60
41	Globus College of Pharmacy, Bhopal	60
42	Gracious college of pharmacy, balaghat	60
43	GRY Institute of Pharmacy (Borawan), Khargone	60
44	Gulab kali memorial college of pharmacy, rewa	60
45	Guru ramdas khalsa institute of science and technology, jabalpur	60
46	Gurukul college for excellence, bhopal	60
47	Gurukul Institute of Pharmaceutical Science & Research, Gwalior	60
48	Gurukul school of pharmacy, indore	60
49	Gyan ganga institute of technology & sciences, jabalpur	60
50	Gyanodaya institute of pharmacy, neemuch	60
51	Gyansagar academy college, narsinghpur	60
52	Gyanveer college of pharmacy, sagar	60
53	Hayward college of pharmacy, gwalior	60
54	Hindupat institute of pharmacy, raghogarh, guna madhya pradesh	60
55	Hitkarini college of pharmacy, jabalpur	60
56	Iasscom institute of pharmaceutical sciences bhopal	60
57	Indira institute of professional studies, bhopal	60
58	Indore mahavidyalaya, indore	60
59	Indra Institute of Medical and Science, Dewas	60
60	Institute of Professional Studies - College of Pharmacy, Gwalior	60
61	Institute of professional technical education, gwalior	60
62	J m college of pharmacy jaida sheopur	60
63	J s pharmacy college prithvipur district niwari	60
64	Jai institute of pharmaceutical sciences and research, gwalior	60
65	Jai maa ambey institute of pharmacy, ganj rampur, ambah road morena (m.p.)	60
66	Jai narain college of pharmacy, bhopal	60
67	Jai shri shyam college, gwalior	60
68	Jain college of pharmacy, bhind	60
69	Jain college, gwalior	60

70	Jj college of pharmacy, chhatarpur	60
71	Kailash Narayan Patel College of Pharmacy, Bhopal	60
72	Keshav institute of pharmaceutical sciences tikamgarh mp	60
73	Kewal shri institute of pharmacy indore	60
74	Khajuraho institute of pharmaceutical sciences, chhatarpur	60
75	Krishna Institute of Pharmaceutical Science And Research, Badarwas	60
76	L.n.college of pharmaceutical studies, indore	60
77	Lakshmi Narain College of Pharmacy, Bhopal	60
78	Late k.l. pandey school of pharmacy, sendhwa	60
79	Laxmi bai sahuji college of pharmacy, jabalpur	60
80	M.p.s. college, gwalior	60
81	M.s.m. shri ram sita shiksha sewa sansthan, satna	60
82	Maa gayatri pharmacy college, bhind	60
83	Maa girja devi college jamna bhind	60
84	Maa shantadevi college of pharamcy, betul	60
85	Madhya bharat pharmacy college gulab ganj,vidisha	60
86	Mahakal Institute of Pharmaceutical Studies, Ujjain	60
87	Mahatma gandhi college of pharmacy, sohawal satna	60
88	Mahaveer pharmacy college, tikamgarh	60
89	Malhotra college (pharmacy), bhopal	60
90	Malwa institute of pharmacy, gwalior	60
91	Manoj jain memorial college of pharmacy, satna	60
92	Mathuradevi Institute of Pharmacy, Indore	60
93	Meera devi pharmacy college, shivpuri	60
94	Millennium college of pharmacy and science, bhopal	60
95	Millennium College of Pharmacy, Bhopal	60
96	Mittal Institute of Pharmacy-Diploma, Bhopal	60
97	Modern Institute of Pharmaceutical Sciences, Indore	60
98	Mspm college of pharmacy, shivpuri	60
99	N S Memorial College of Pharmacy Bhandar, Datia	60
100	Nagaji Institute of Pharmacutical Science, Gwalior	60
101	New era college, indore	60
102	Novel Institute of Pharmacy, Bhopal	60
103	NRI Institute of Pharmaceutical Sciences, Bhopal	60
104	Nri-institute of research & technology, bhopal	60
105	Ojaswini pharmacy college, sagar	60
106	Om sai naath college of pharmacy, sagar	60
107	Oriental college of pharmacy, bhopal	60
108	Oriental college of pharmacy, jabalpur	60
109	Oriental institute of pharmacy and research, bhopal	60
110	Oriental institute of pharmacy lalburra, balaghat	60
111	Oriental institute of pharmacy panbihari lalburra, balaghat	60

112	Oxford international college, indore	60
113	Paras institute of pharmacy, gwalior	60
114	Parijat college of pharmacy, indore	60
115	Patel college of pharmacy, indore	60
116	Pentium point college of pharmacy, rewa	60
117	Pitambara college of pharmacy, datia	60
118	Pranav institute of pharmaceutical science and research, gwalior	60
119	Prathvi college of pharmacy, gwalior	60
120	Prestige college of pharmacy, vidisha	60
121	Prof. Brijmohan Mishra Institute of Medical and Technical Sciences, Burhanpur	60
122	Pt t p shukla college of pharmacy, annupur	60
123	R d memorial college of pharmacy and research, indore	60
124	R.k.college, datia	60
125	Radha krishan college of pharmacy, datia	60
126	Radha krishan mahavidhyalay, datia	60
127	Radha krishna pharmacy college rampur chaurasi satna	60
128	Radhadevi ramchandra mangal institute bhatkhera, neemuch	60
129	Radharaman College of Pharmacy, Bhopal	60
130	Radharaman Institute of Pharmacetucal Sciences, Bhopal	60
131	Raghukul college of pharmacy, bhopal	60
132	Rajiv gandhi college of pharmacy, bhopal	60
133	Rbs institute of education, neemuch	60
134	Rewa polytechnic (pharmacy), rewa	60
135	RNS Institute of Pharmacy, Gwalior	60
136	Royal Institute of Management and Advanced Studies, Ratlam	60
137	RSC College of Pharmacy, Gwalior	60
138	S.d.college of pharmacy, betul	60
139	S.k. college of pharmacy chakarpur distt niwari mp	60
140	S.ls college of pharmacy ,sagar	60
141	Sagar Institute of Pharmaceutical Sciences, Sagar	60
142	Sagar Institute of Research, Technology and Science - Pharmacy, Bhopal	60
143	Sanjeevani college of pharmacy, neemuch	60
144	Shanti college of pharmacy, datia	60
145	Shanti college of pharmacy, nowgong	60
146	Shanti institute of pharmaceutical sciences nowgong	60
147	Shiva college of pharmacy, bhind	60
148	Shivajirao Kadam Institute of Pharmaceutical Education and Research, Indore	60
149	Shivam college of pharmacy bhaidehi betul	60
150	Shivam college of pharmacy, seoni	60
151	Shivnath singh college, gwalior	60
152	Shree balaji college of pharmacy, chhindwara	60
153	Shree ji college of pharmacy, mandsour	60

154	Shree om college of pharmacy and research, betul	60
155	Shri balaji college of pharmacy, betul	60
156	Shri bherulal pharmacy institute, indore	60
157	Shri gajanan shiksha samiti college, hoshangabad	60
158	Shri krishna college of pharmacy mungaoli distt ashoknagar m.p	60
159	Shri radhakrishnan college bhopal	60
160	Shri ram college of pharmacy, bhopal	60
161	Shri ram group of institutions (faculty of engineering, pharmacy, mca, mba) jabalpur	60
162	Shri Ram Institute of Pharmacy, Jabalpur	60
163	Shri Ram Institute of Technology. Diploma in Pharmacy, Jabalpur	60
164	Shri ram pharmacy college jamthi betul	60
165	Shri rama krishna college of pharmacy, satna	60
166	Shri Ramnath Singh Inst. Of Pharmaceutical. Sc & Technology., Gwalior	60
167	Shri ramnath singh mahavidyalaya (pharmacy) gormi, bhind	60
168	Shri ravindranath tagore institute of professional studies, khandwa	60
169	Shri rawatpura sarkar college, sagar	60
170	Shri rawatpura sarkar institute of pharmacy, chitrakoot	60
171	Shri Rawatpura Sarkar Institute of Pharmacy, Datia	60
172	Shri rawatpura sarkar institute of pharmacy, jabalpur	60
173	Shri Sahaj Institute of Pharmacy, Khargone	60
174	Shri Swami Samarth College of Pharmacy, Harda	60
175	Shri swamiji maharaj college of pharmacy, datia	60
176	Shri vaishnavi institute of pharmacy, raisen	60
177	Shrikrishna pharmacy college, rewa	60
178	Shrinath pharmacy college, alirajpur	60
179	Shriram College of Pharmacy, Banmore, Morena	60
180	Shriram institute of pharmaceutical science, ujjain	60
181	Silicobite katni degree college gyanteerth, katni	60
182	Sir atma ram institute of pharmacy and technology, jabalpur	60
183	Sitaram college of pharmacy chhatarpur mp	60
184	Somya school of pharmacymyana guna	60
185	Sri Aurobindo Institute of Pharmacy, Indore	60
186	St. George institute of pharmacy, raisen	60
187	Sun Institute of Pharmaceutical Education & Research (SIPER), Lahar, Bhind	60
188	Surabhi college of pharmacy, bhopal	60
189	Svi college of pharmacy and research, gwalior	60
190	Swami vivekanand college of pharmacy janakpur panna mp	60
191	Swami Vivekanand College of Pharmacy, Bhopal	60
192	Swami Vivekanand College of Pharmacy, Indore	60

193	Technocrats institute of technology and science pharmacy,bhopal	60
194	Technocrats institute of technology-pharmacy, bhopal	60
195	Teerath institute of science & technology,bhopal	60
196	Thakur shivkumarsingh memorial pharmacy college, burhanpur	60
197	Times college of pharmacy, damoh	60
198	Truba institue of pharmacy, bhopal	60
199	Ujjain Institute of Pharmaceutical Sciences Ujjain	60
200	Vaishnavi institute of pharmacy, raisen	60
201	Vanasthali College of Pharmacy Rewa M P	60
202	Vedant institute of professional study, gwalior	60
203	Vedic Institute of Pharmaceutical Education an Research, Sagar	60
204	Vee academy, gwalior	60
205	Veer college of pharmacy, vidisha	60
206	Vidhik institute, bhopal	60
207	Vidhyapeeth institute of pharmacy, bhopal	60
208	Vidyasagar college of pharmacy, indore	60
209	Vikramaditya institute of pharmaceutical science,hoshangabad	60
210	Vinayaka college of pharmacy, indore	60
211	Vision college of pharmacy, seoni	60
212	Vivekanand college of pharmacy, bhind	60
213	Vivekanand College of Pharmacy, Bhopal	60
214	Vivekanand pharmacy college, umaria	60
215	Vns group of institutions, bhopal	60
216	Yogeshwar college of pharmacy, badwani	60
217	Yuva Institute of Pharmacy, Guna	60

NOTE: ADDITION/DELETION OF INSTITUTIONS AND INTAKE CAPACITY MAY TAKE PLACE AT THE TIME OF COUNSELING AS PER THE APPROVAL OF AICTE